प्ररूप-9

[नियम 11(7)]

बालक द्वारा व्यक्तिगत बंध पत्र

चूंकि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा ……………………..के अंतर्गत किशोर न्याय बोर्ड ……………………..........द्वारा यह आदेश दिया गया है कि मुझे ……….. …………………………..निवासी.. (मकान नं., सड़क, गांव/शहर-तहसील, जिला राज्य का पूरा ब्यौरा दें) को आगे दर्शाई गई शर्तों का अनुपालन करने के लिए मेरे द्वारा व्यक्तिगत बंध पत्र भरे जाने पर मेरे मूल निवास स्थान पर वापस भेज दिया जाए । इसलिए अब मैं सत्यनिष्ठा से वचन देता हूँ कि.. अवधि के दौरान इन शर्तों का पालन करूँगा ।

मैं स्वयं को निम्नलिखित से आबद्ध करता हूँ :

1. ....अवधि के दौरान सामान्यतया उस गांव/शहर/जिले को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा जहां मुझे भेजा जा रहा है और उक्त बोर्ड की पूर्वानुमति के बिना न तो .... लौटूँगा और न ही उक्त जिले से बाहर कहीं जाऊँगा ;
2. उक्त अवधि के दौरान मैं उस गांव/शहर अथवा जिले में स्कूल में व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जाऊँगा, जहां मुझे भेजा जा रहा है;
3. उक्त जिले में अन्य कहीं स्थित स्कूल में/व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जाने की स्थिति में, मैं उक्त बोर्ड को अपने सामान्य निवास स्थान की सूचना दूँगा ।.

मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मुझे उपर्युक्त शर्तों की जानकारी है, जिन्हें, मुझको पढ़कर सुनाया/समझाया गया है और मैं इन्हें स्वीकार करता हूँ ।

(बालक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान)

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तें ....(बालक का नाम) को पढ़कर सुनाई/समझा दी गई हैं तथा उसने इन्हें ऐसी शर्तों के रूप में स्वीकार किया है, जिन पर उसे सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जा सकता है ।

तदनुसार यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त बालक को ………………….(तारीख) को छोड़/रिहा कर दिया गया है ।

हस्ताक्षर

प्रधान मजिस्ट्रेट/सदस्य किशोर न्याय बोर्ड